

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या-250 भा.स./60-3-06-3(22)/05
लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (The Protection of women from Domestic Violence Act-2005) संख्या-43 सन् 2005 की धारा-8 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोवेशन अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) के रूप में नामित करते हैं, जो अपने-अपने जिलों के क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन अधिकारों का और शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आज्ञा से,

बलविन्दर कुमार

सचिव।

संख्या-250 भा.स. (1)/60-3-06-3(22)/05, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को सरकारी गजट के अगले अंक में विधायी परिशिष्ट खण्ड ख एवं भाग-4 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उ.प्र. लखनऊ।
5. समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बलविन्दर कुमार)

सचिव।

खिलाफ के उपलब्ध कराया जायेगा। डाण्ड विकास अधिकारी/तहसील विकास अधिकारी/पंचायत/अथवा विकास डाण्ड क्षेत्र की समस्त ग्राम-पंचायतों से उपर्युक्त विवरण प्राप्त करती है एवं अधिलिखित चेक प्राप्त कर जिला प्रोबेशन अधिकारी को भिजा किसी खिलाफ के उपलब्ध कराया जायेगा।

2- सुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि (जिन मामलों में क्रेडिट एडवांस के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में राशि धनराशि अन्तर्गत की जाती हो, वहाँ उक्त व्यवस्था बनायी रखनी जायेगी और वहाँ अन्तरण की बैकवार लाभार्थी सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी) ताकि ग्राम पंचायतों के संज्ञान में सम्पूर्ण स्थिति रहे।

भवदीय,

देवेन्द्र स्वल्प
उप सचिव

सूचनांक संख्या-1352/1/60-3-99-3/144/99 तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव सहोदय के सूचनार्थ।
- 2- प्रमुखा सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव को प्रमुखा सचिव के सूचनार्थ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
- 5- समस्त मण्डलीय उप मुख्य परीक्षिका अधिकारी, उ०प्र०।
- 6- सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से
देवेन्द्र स्वल्प
उप सचिव